न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—05/2016/75 (2016/00005)

समस्त ग्रामवासियान रामनेरः—

1. रामलाल पुत्र गंगाराम,
2. जुगराज पुत्र जगरूप,
3. रणजीत पुत्र रामा,
4. रामरतन पुत्र भंवरलाल,
5. जसकरण पुत्र भंवरलाल,
6. रामेश्वर पुत्र भंवरलाल,

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम रामनेर, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेमर जरिये सचिव ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।
3. जिला कलक्टर, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12 (सी) ()/292, दिनांक 27.9.2013 .

उपस्थितः—

1. श्री शहाबुद्धीन खान, वकील अपीलांटस ।
2. श्री रामकिशोर खदाव, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 .

निर्णय

दिनांकः—29.03.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12 (सी)( )/292, दिनांक 27.9.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस की भूमि खसरा नंबर 1832/3425 का भाग अपने प्लाट पर निवास कर रहा है जो ग्राम रामनेर की ढाणी, तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है । खसरा नंबर 1832/3425 का साबिक खसरा नंबर 1545 मिन रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा किस्म आबादी दर्ज थी उक्त खसरा नंबर से बने हाल खसरा नंबर 1832/3425 बनाते समय राजस्व कर्मचारियों, सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार के उक्त खसरा नंबरान की किस्म को परिवर्तित कर सिवायचक दिखाते हुए बिना मौका निरीक्षण एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त अपीलांटस की भूमि को विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.12 (सी)( )/292, दिनांक 27.9.2013 के द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम जरिये नामांतकरण 179 दिनांक 12.12.2013 को अपीलांटस के हिस्से की

आबादी भूमि को हस्तातंरित कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश कानून के विपरीत है क्योंकि अपीलांट उक्त भूखण्ड पर लगभग 50 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज है तथा मय परिवार निवास कर रहा है । अधी0न्याया0 ने विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 1 को हस्तातंरण करते समय विवादित भूमि के मौके का भौतिक परीक्षण नहीं कर केवल मात्र गलत इंद्राज के आधार पर आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलांटस के कब्जे काश्त की पुष्टि धारा 91 भू–राजस्व अधि0 के नोटिसों से होती है तथा ग्राम सरपंच ने भी प्रमाणित किया है कि विवादित भूमि पर अपीलांटस गत् 50 वर्षो से काबिज है । बहस में आगे कथन किया कि उक्त कार्यवाही द्वेषता के चलते करायी गई है । राजस्व रिकार्ड में उलट–पलट होने से आबादी को चारागाह व चारागाह को अन्य भूमियों में राजस्व कर्मचारियों ने गलत रिकार्ड में दर्ज कर दिया जिसके संबंध में ग्राम सरपंच द्वारा भी गलत रिकार्ड के बारे में शिकायत राजस्व कैम्प में दी थी । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का हस्तातंरण आदेश दिनांक 27.9.2013 निरस्त किया जावे।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.9.2013 से प्रार्थी के हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है क्योंकि विवादित खसरा संख्या 1832/3435 के भूखण्ड पर प्रार्थी काबिज है । उक्त खसरा नंबर के साबिक नंबर 1454 थे जो आबादी में दर्ज था लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने गलती से राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया । अपीलाधीन आदेश की आड़ में अप्रार्थीगण अपीलांटस को विवादित भूमि से बेदखल करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में अपीलांटस को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है ।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के आदेश की अपीलांटस को पूर्व में जानकारी नहीं थी क्योंकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुना नहीं गया था । आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 1.10.2015 को अप्रार्थीगण द्वारा बताने पर हुई जिस पर अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के आदेश की जानकारी कर, कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

7. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि विवादित राजस्व रिकार्ड में सिवायचक होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने रेस्पो0 संख्या 1 को हस्तातंरित करने के आदेश पारित किये है तथा उक्त आदेश की पालना में रेस्पो0 संख्या 1 के नाम नामांतकरण भी स्वीकृत किया जा चुका है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि वर्तमान में रेस्पो0 संख्या 1 को हस्तातंरित की जाकर रेस्पो0 संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जा चुकी है । विवादित भूमि से अपीलांटस का कोई संबंध नहीं है । अपील अपीलांटस निरस्त की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

10. अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में जो कथन किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है क्योंकि विवादित भूमि पर अपीलांटस गत् 50 वर्षो से अपना कब्जा होना बता रहे है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुना नहीं गया जिससे अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके थे । न्यायहित में हम अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपीलांटस को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

12. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिवक्ता अपीलांटस कथन है कि साबिक खसरा नंबर 1454 मिन रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा किस्म आबादी हाल खसरा नंबर 1832/3425 ग्राम रामनेर की ढाणी अवस्थित है जिसमें एक भाग अपने प्लाट पर काबिज है जिसको किस्म परिवर्तित कर सिवायचक दर्ज कर दी एवं बिना मौका निरीक्षण किये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन भूमि को रेस्पो0 संख्या 1 के नाम नामांतकरण संख्या 179 दिनांक 12.12.2013 स्वीकृत कर दिया जबकि अपीलांट गत 50 वर्षो से मय परिवार निवास कर रहा है इस कारण जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 27.9.2013 निरस्त योग्य है । परन्तु हम अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से सहमत नहीं है क्योंकि अपीलाधीन भूमि राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज रही है तथा अपीलाधीन भूमि कभी भी अपीलांट के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं रही है । अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय से अपीलाधीन भूमि अपने नाम दर्ज करवाने हेतु न तो कोई चाराजोही की एवं न ही अपीलांट के नाम खातेदारी सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित की गई है । भूमि सिवायचक दर्ज होने के कारण जिला कलक्टर द्वारा सही रूप से अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तातंरित की गई है जो विधिसंगत है । यहां हम पैरोकार सरकार के इस तर्क से भी सहमत है कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 1454 मिन आबादी होने के कारण राजस्व न्यायालय का क्षैत्राधिकार वर्जित है इस कारण भी अपील पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

13. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 27.9.2013 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 29.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर